N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0147   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/06/2025 12:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 21/03/2025   Date To (दिनांक तक): 27/03/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 18:01 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/06/2025   Time (समय): 11:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/06/2025 12:48:26 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 350 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): RAMBHOLA AKHADA,GANESH TEKARI,TRINETRA CHAURAHA,, NATHDAWARA,RAJSAMAND

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BHAGWAN LAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHAIRULAL TELI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1989 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MURDA, AAMET, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MURDA, AAMET, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LAKSHMINARAYAN GURJAR		पिता:JAMANADAS GURJAR	1. GURJARPURA,NATHDWARA,NATHDWARA,RAJSAMAND,RAJA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2025 समय करीब 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवान लाल व सहपरिवादी श्री भानु कुमार ने श्री राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय भ्रनिब्यूरो एसयू, उदयपुर पर उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को उनके कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त दोनो परिवादीगण से आपस में परिचय करवाकर परिवादी श्री भगवान लाल की हस्तलिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी और सहपरिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में हमराह लेकर आया। परिवादी श्री भगवान लाल व सहपरिवादी श्री भानु कुमार को कार्यालय कक्ष में बिठा कर परिवादी श्री भगवान लाल की हस्ताक्षरित हस्तलिखित रिपोर्ट एवं श्री भानु कुमार की हस्ताक्षरित जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन किया हुआ का अवलोकन किया गया तो रिपोर्ट में अंकित पाया कि "मैं प्रार्थी भगवान लाल पुत्र श्री भैरूलाल तेली निवासी मुरडा, तहसील आमेट, राजसमन्द का रहने वाला हूं। मेरे नाम व मेरी पत्नी श्रीमती दुर्गा साहु के नाम से राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में बीएमसी कलेक्शन समिति राजसमन्द से भीलवाडा डेयरी तक टेंकर के माध्यम से दुग्ध परिवहन का नवम्बर 2024 को अलग-अलग टेण्डर हुआ है। जिस पर मेरे द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु दो टेंकर लगाये गये है, इसी तरह मेरे परिचित श्री भानु कुमार पुत्र श्री गणेश लाल कुमावत, निवासी चौकडी, तहसील रेलमगरा, राजसमन्द के भी नाम से दुग्ध परिवहन का टेण्डर होकर एक टेंकर लगा रखा है। टेंकर लगवाने के बाद से ही आये दिन राजसमन्द डेयरी के चेयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर हमे अकारण परेशान कर हमारे टेंकरों को आये दिन परेशान करता है और हमारे टेंकरों को रूट पर बिना रोक टोक के चलने देने के एवज में आगे से परेशान नहीं करने के एवज में डेयरी चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर हर महिने की बन्दी के रूपये प्रति टेंकर 60,000/- (साठ हजार) रुपये एवं स्वीकृत टेण्डर की एवज में प्रति टेण्डर 2,00,000/- (दो लाख) रुपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है, हाल ही में दो तीन दिन पहले श्री भानु कुमार को राजसमंद डेयरी में बुलाकर कहा चैयरमेन साहब ने भानु कुमार को कहा था कि यदी उन्हें उक्त रिश्वत की राशी और मंथली नहीं देंगे तो वो दुग्ध टेंकर में झूठे आरोप लगवा कर ब्लेक लिस्टेड करवा देगा और काम बंद करवा देगा। भानु कुमार जी मेरे साथ आये हैं। चेयरमेन साहब मुझसे और श्री भानु कुमार से एक साथ ही रिश्वत के बारे में वार्ता करेंगे। मेरी और श्री भानु कुमार जी की डेयरी चेयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर जी से कोई पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही इनसे कोई लेन-देन बकाया है। मैं और भानुकुमार ऐसे भ्रष्ट चैयरमेन को रिश्वत राशी नहीं देना चाहते है, रिश्वत राशी लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहते हैं। अतः कानुनी कार्यवाही कराने का श्रम करावें।'उक्त रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी व सहपरिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र परिवादी श्री भगवान लाल द्वारा स्वयं की हस्तलिखित होना एवं दोनों के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। श्री भगवान लाल व श्री भानुकुमार से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी श्री भगवान लाल ने बताया कि "मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती दुर्गा साहु के नाम से राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में बीएमसी कलेक्शन समिति राजसमन्द से भीलवाडा डेयरी तक टेंकर के माध्यम से दुग्ध परिवहन का नवम्बर 2024 को अलग-अलग टेण्डर हुये थे, जिस पर दुग्ध परिवहन हेतु दो टेंकर लगा रखे हैं और श्री भानु कुमार के नाम से भी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमन्द में दुग्ध परिवहन का टेण्डर होकर एक टेंकर लगा रखा है, कुल तीन टेंडर स्वीकृत हो तीन दुग्ध टेंकर लगा रखे हैं। स्वीकृत टेण्डर पर टेंकर लगवाने के बाद से ही आये दिन राजसमन्द डेयरी के चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर हम दोनों को अकारण परेशान कर हमारे टेंकरों के संचालन में अडचन पेदा कर परेशान कर रहें हैं। टेंकरों को रूट पर बिना रोक टोक के चलने देने के एवज में और आगे से परेशान नहीं करने के एवज में डेयरी चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर हर महिने के हिसाब से मंथली बन्दी प्रति टेंकर 60,000/- (साठ हजार) रुपये एवं स्वीकृत हुये टेण्डर की एवज में प्रति टेण्डर 2,00,000/- (दो लाख) रुपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहे हैं। इस प्रकार डेयरी चैयरमेन मुझसे और भानु कुमार से कुल 6,00,000/- रूपये स्वीकृत हुये टेण्डर की एवज में एवं 1,80,000/- रूपये हर महिने के हिसाब से तीनों टेंकरों की मंथली बन्दी की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले डेयरी चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने श्री भानु कुमार को राजसमंद डेयरी में अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मेरे और भानु के तीनों टेंडर के स्वीकृत होने के एवज में एवं मंथली बन्दी की राशि की मांग की और नहीं देने पर हमारे दुग्ध टेंकरों में मिलावट करने के झूठे आरोप लगवा कर ब्लेक लिस्टेड करवा देने और हमारा काम

बंद करवा देने की धमकी दी।'सहपरिवादी श्री भानु कुमार द्वारा उसके राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में दिनांक 28.10.2024 को स्वीकृतशुदा टेंडर के कार्यादेश की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसे संलग्न कार्यवाही की गई। परिवादी श्री भगवान लाल व सहपरिवादी श्री भानुकुमार की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करने का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध की श्रेणी का पाया जाने से परिवादी श्री भगवानलाल को संदिग्ध आरोपी डेयरी चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि "चैयरमेन हम दोनों से एक साथ ही रिश्वत राशि की वार्ता करेंगे और चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर ने मुझे और श्री भानु कुमार को पांच-छः दिन के बाद फोन कर आने के लिये बोला है।'तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय पर उपस्थित श्री दिनेश कुमार कानि. 266 और श्री राजेश कानि. 263 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री दिनेश कानि. से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया गया, कानि. दिनेश ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से लाकर प्रस्तुत किया, परिवादी श्री भगवानलाल व सहपरिवादी श्री भानु कुमार और दिनेश कानि. व राजेश कानि. का आपस में परिचय करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर सुरक्षित करवाये गये। परिवादी व सहपरिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया। परिवादी श्री भगवानलाल व सहपरिवादी श्री भानु कुमार को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर एवं संदिग्ध आरोपी के कॉल आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत देकर समय करीब 05.10 पी.एम. पर परिवादी व सहपरिवादी को रूकसत किया गया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को पुनः कार्यालय हाजा की अलमारी में दिनेश कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 24.03.2025 समय करीब 12.01 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवानलाल को जरिये मोबाईल वार्ता कर संदिग्ध आरोपी द्वारा बुलाये जाने एवं संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर का मेरे और श्री भानु कुमार के पास कोई कॉल नहीं आया और ना ही हमसे मिले हैं। तत्पश्चात दिनांक 26.03.2025 समय करीब 11.29 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवानलाल को जरिये मोबाईल वार्ता कर संदिग्ध आरोपी द्वारा सम्पर्क करने के बारे में पूछा तो परिवादी द्वारा बताया कि चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर का मेरे और भानु कुमार के पास अभी तक कोई कॉल नहीं आया है और ना ही उन्होंने हमसे सम्पर्क किया है। श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा दिया गया पांच-छः दिन का समय कल हो जायेगा, वो मुझे और भानु कुमार को कल बुला सकते हैं, इसलिये मैं और भानु कुमार कल दिनांक 27.03.2025 को आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जायेंगे। तत्पश्चात दिनांक 27.03.2025 समय करीब 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानलाल उपस्थित कार्यालय आया, परिवादी श्री भगवानलाल से सहपरिवादी श्री भानु कुमार के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि "श्री भानु कुमार राजसमंद की तरफ ही है और श्री लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब द्वारा दिया गया पांच-छः दिन का समय भी हो गया है आज उनको फोन करके उनसे मिलने के बारे में पूछ लेते हैं, यदि वह आज मिलने का टाईम दे देते हैं तो भानु कुमार को भी बुला कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लेंगे।'जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि. 266 से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में उक्त मेमोरी कार्ड डलवाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को पुनः समझाया गया। समय करीब 03.02 पी. एम. पर परिवादी श्री भगवानलाल के मोबाईल नम्बर[redacted]से संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर के मोबाईल नम्बर[redacted]पर कॉल करवा मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी व संदिग्ध के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध द्वारा परिवादी व भानु कुमार को टेंकर सम्बंधित वार्ता हेतु शाम को लगभग चार-पांच बजे उसके होटल पर आने के लिये कहा। जिस पर परिवादी श्री भगवानलाल को संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण की होटल के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि "श्री लक्ष्मीनारायण की होटल नाथद्वारा से उदयपुर रोड पर नाथुवास चौराहा पर होटल राज महल के नाम से है, श्री लक्ष्मीनारायण अक्सर होटल पर ही मिलते हैं।' जिस पर परिवादी को सहपरिवादी श्री भानु कुमार को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु साथ में लेकर जाने हेतु बुलाने को कहा तो परिवादी ने श्री भानु कुमार को कॉल कर श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु उनकी होटल पर बुलाये जाने के बारे में बताया तो श्री भानु कुमार ने परिवादी को आरोपी की होटल राज महल के पास त्रिनेत्र शिव मुर्ति सर्कल पर उपस्थित मिलने के लिये कहा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि. 266 और श्री राजेश कानि. 263 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर निर्देशित किया कि 'सहपरिवादी भानु कुमार उदयपुर नाथद्वारा रोड पर त्रिनेत्र शिव मुर्ति सर्कल पर उपस्थित मिलेगा, जिसको साथ में लेकर परिवादी व सहपरिवादी की संदिग्ध आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवा पुनः कार्यालय पर उपस्थित होवें।'तत्पश्चात् परिवादी के साथ कानि. राजेश व श्री दिनेश कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी की प्राईवेट कार से समय करीब 04.40 पी.एम. पर त्रिनेत्र सर्कल राजसमंद के लिये आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। समय करीब 08.04 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दिनेश कानि. द्वारा जरिये मोबाईल कॉल कर बताया कि "परिवादीगण द्वारा संदिग्ध आरोपी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद के चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण से रिश्वत राशि सम्बंधित वार्ता कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर ली है

जिस पर परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि श्री लक्ष्मीनारायण चैयरमेन साहब से हम दोनों की वार्ता हो गई है, चैयरमेन साहब ने हम से दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद में स्वीकृत तीन टेण्डर के एवज में 4,00,000/- रूपये एवं हर महिने की मंथली बन्दी के रूप में प्रति टेंकर 40,000/- रूपये कुल 1,20,000/- रूपये, इस प्रकार उनके द्वारा हमसे कुल 5,20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि तीन-चार दिन में लेकर आने के लिये कहा है।" जिस पर श्री दिनेश कानि. को परिवादी श्री भगवान लाल और सहपरिवादी श्री भानु कुमार को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय पर उपस्थित आने और गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर मौके से सहपरिवादी श्री भानुकुमार को रूकसत करने के निर्देश देकर श्री राजेश कानि. व परिवादी श्री भगवान लाल के साथ कार्यालय पर पंहुच डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखने और परिवादी श्री भगवानलाल को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 28.03.2025 समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि. द्वारा दिनांक 27.03.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार दिनांक 27.03.2025 को समय 04.40 पी. एम. पर मैं, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के व श्री राजेश कानि. व परिवादी श्री भगवान लाल के साथ परिवादी की प्राईवेट कार से कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 05.30 पी.एम. पर त्रिनेत्र शिव मुर्ति सर्कल राजसमंद पंहुचे जहां सहपरिवादी श्री भानु कुमार उपस्थित मिला, परिवादीगण को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश की गई। तत्पश्चात् संदिग्ध आरोपी की होटल राज महल के नजदीक पंहुच कर समय करीब 05.47 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानलाल को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को परिवादी की कार से संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु होटल राज महल की तरफ रवाना किया और मैं व राजेश कानि. अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुये परिवादी व सहपरिवादी के वापस आने के इन्तजार में मूकीम रहे। तत्पश्चात् समय करीब 05.57 पी. एम. पर परिवादीगण मेरे और राजेश कानि. के पास आये और परिवादी श्री भगवानलाल द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालूशूदा मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा, जिस पर परिवादी ने बताया कि "होटल में श्री लक्ष्मीनारायण जी नहीं मिले जिस पर मैरे द्वारा उनको कॉल किया तो उनके द्वारा मुझे और भानू कुमार को रामभोला अखाडे पर बुलाया है।'जिस पर मैं, राजेश कानि. व परिवादी व सहपरिवादी के साथ परिवादी की कार से वहां से रवाना होकर रामभोला अखाडे के पास पंहुच समय करीब 06.01 पी.एम. परिवादी श्री भगवानलाल को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को परिवादी की कार से संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रामभोला अखाडे की तरफ रवाना किया और मैं व राजेश कानि. अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये हुये परिवादी व सहपरिवादी के वापस आने के इन्तजार में मूकीम रहे। तत्पश्चात् समय करीब 07.53 पी.एम. पर परिवादी व सहपरिवादी मेरे और राजेश कानि. के पास आये और परिवादी श्री भगवानलाल द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालूशूदा मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि "मै और भानुकुमार रामभोला अखाडे पर गये, जहां श्री लक्ष्मीनारायण जी मिले जो अखाडा परिसर में साफ सफाई कर रहे थे, थोडी देर बाद वह मुझे और भानु कुमार को अखाडा परिसर में प्रथम मंजिल पर बने हॉल में लेकर गये। उनके द्वारा हमारे फोन को हॉल से बाहर रखवा दिये। उसके बाद श्री लक्ष्मीनारायण जी ने मुझसे और भानु कुमार से राजसमंद डेयरी में मेरे और भानु कुमार के टेंकर संचालन के स्वीकृत टेंडर के एवज में प्रत्येक टेंडर के 2,00,000/- रूपये रिश्वत राशि कुल 6,00,000/- रूपये एवं प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर मेरे और भानु कुमार द्वारा हाथा जोडी करने एंव विनति करने पर अन्ततः श्री लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब ने तीन टेंकर संचालन के स्वीकृत टेंडर के एवज में कुल 4,00,000/- रूपये एवं प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली बन्दी 40,000/- रूपये कुल 1,20,000/- रूपये कुल 5,20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर सहमति दी गई। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद के चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण जी ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद में मेरे व मेरी पत्नी के नाम से स्वीकृत दो टेण्डर और भानु कुमार के एक स्वीकृत टेण्डर के एवज में एवं हर महीने की मंथली बन्दी के रूप में मुझसे और श्री भानु कुमार से कुल 5,20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि तीन-चार दिन में लेकर आने के लिये कहा" आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री भगवान लाल और सहपरिवादी श्री भानु कुमार को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.03.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित आने और गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर मौके से सहपरिवादी श्री भानुकुमार को रूकसत किया गया। तत्पश्चात् मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के, श्री राजेश कानि. व परिवादी श्री भगवान लाल के साथ परिवादी की कार से समय करीब 09.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पंहुच आपके निर्देशानुसार डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया और परिवादी श्री भगवानलाल को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् डिजीटल

वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सूना गया तो रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया और परिवादी व श्री दिनेश कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई है। तत्पश्चात् डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित हालात में कार्यालय की अलमारी में श्री दिनेश कानि. से पुनः रखवाया गया। समय करीब 02.58 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि. द्वारा परिवादी श्री भगवानलाल को जरिये मोबाईल वार्ता कर परिवादी व सहपरिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो ईकाई एस.यू. पर उपस्थित आने के लिये कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी परिवार के साथ बाहर हूं और श्री भानु कुमार भी राजसमंद है, मै और भानु कुमार शाम तक आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जायेंगे और हम दोनों चैयरमेन साहब श्री लक्ष्मीनारायण को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। समय करीब 04.00 पी.एम. अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम तहरीर जारी स्वतंत्र गवाह को पाबंद कर तलब किया गया। समय करीब 05.58 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि. द्वारा परिवादी श्री भगवानलाल को जरिये मोबाईल वार्ता कर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो ईकाई एस.यू. पर उपस्थित आने के लिये कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी परिवार के साथ बाहर हूं, अभी आपके कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो सकता हूं। सोमवार दिनांक 31.03.2025 को 11.00 ए.एम. तक आपके कार्यालय पर सहपरिवादी श्री भानु कुमार के साथ उपस्थित हो जाउंगा और मैं व भानु कुमार चैयरमेन साहब श्री लक्ष्मीनारायण को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था भी कर रहे हैं। समय करीब 06.45 पी.एम. पर कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर से तलबशुदा स्वतंत्र गवाह ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो हर दोनां ने अपना-अपना परिचय श्री अनिल बंसल, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर व श्री दिशान्त मेनारिया, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर होना बताया। हर दोनो गवाहां को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की गई। तत्पश्चात दिनांक 31.03.2025 समय करीब 11.00 ए.एम. पर पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाह श्री अनिल बंसल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर एवं श्री दिशांत मेनारिया कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर उपस्थित कार्यालय आये व समय करीब 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री भगवानलाल तेली उपस्थित कार्यालय आया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी श्री भानु कुमार के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि श्री भानु कुमार अचानक आवश्यक पारिवारिक काम आ जाने से वह आज आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता है। जिस पर श्री भगवानलाल से दिनांक 27.03.2025 को संदिग्ध आरोपी से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि "दिनांक 27.03.2025 को समय 04.40 पी.एम. पर मैं और आपके कार्यालय के दिनेश कुमार जी व राजेश जी कानिस्टेबल के साथ मेरी कार से आपके कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 05.30 पी.एम. पर त्रिनेत्र शिव मुर्ति सर्कल राजसमंद पंहुचे थे, जहां श्री भानु कुमार उपस्थित मिले थे, जहां श्री दिनेश जी ने मुझे और भानु कुमार जी को लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब से रिश्वत राशि वार्ता करने के सम्बंध में समझाईश कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के चलाने की प्रक्रिया समझायी थी। उसके बाद हम सभी वहां से मेरी कार से रवाना होकर होटल राज महल के नजदीक पंहुचे जहां दिनेश जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द किया और मुझे और भानु कुमार को मेरी कार से श्री लक्ष्मीनारायण जी चेयरमेन साहब से रिश्वत राशि सम्बंधित वार्ता करने हेतु होटल राज महल की तरफ रवाना किया और दिनेश जी व राजेश जी वहीं उतर गये थे। मैं और भानु कुमार होटल राज महल के अन्दर गये जहां लक्ष्मीनारायण जी के बारे में मालूमात की तो वह होटल में नहीं थे, जिस पर मैरे द्वारा उनको कॉल किया तो उनके द्वारा मुझे और भानू कुमार को रामभोला अखाडा, गणेश टेकरी नाथद्वारा पर बुलाया था, जिस पर थोडी देर बाद मै और भानु कुमार वापस दिनेश जी और राजेश जी के पास पंहुचे और डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालूशूदा श्री दिनेश को सुपुर्द किया जिसे बंद कर उन्होंने उनके पास रखा था, उसके बाद हम सब मेरी कार से वहां से रवाना होकर रामभोला अखाडे के पास पंहुचे जहां दिनेश जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर दिया और मुझे और भानुकुमार को मेरी कार से लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब से रिश्वत राशि सम्बंधित वार्ता करने हेतु रामभोला अखाडे की तरफ रवाना किया और दिनेश जी और राजेश जी वहीं उतर गये थे। मै और भानुकुमार रामभोला अखाडा, गणेश टेकरी पर गये, जहां श्री लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब मिले जो अखाडा परिसर में साफ सफाई कर रहे थे, थोडी देर बाद उन्होंने मुझे और भानु को अखाडा परिसर में ही प्रथम मंजिल पर बने हॉल में लेकर गये। उनके द्वारा हम दोनों के मोबाईल फोन को हॉल के बाहर ही रखवा दिये थे। उसके बाद श्री लक्ष्मीनारायण जी ने मुझसे और भानु कुमार से राजसमंद डेयरी में मेरे और भानु कुमार के टेंकर संचालन के स्वीकृत टेंडर के एवज में प्रत्येक टेंडर के 2,00,000/- रूपये रिश्वत राशि कुल 6,00,000/- रूपये एवं प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। जिस पर मैने और भानु कुमार ने उनसे हाथा जोडी कर विनति कि तो अन्ततः श्री लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब ने तीन टेंकर संचालन के स्वीकृत टेंडर के एवज में कुल 4,00,000/- रूपये एवं प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली बन्दी 40,000/- रूपये कुल 1,20,000/-

रूपये इस प्रकार कुल 5,20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद के चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण जी ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद में मेरे व मेरी पत्नी के नाम से स्वीकृत दो टेण्डर और भानु कुमार के एक स्वीकृत टेण्डर के एवज में एवं हर महीने की मंथली बन्दी के रूप में मुझसे और श्री भानु कुमार से कुल 5,20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि तीन-चार दिन में लेकर आने के लिये कहा था। श्री लक्ष्मीनारायण जी से वार्ता करने के बाद करीब दो घंटे बाद मैं और भानु कुमार वापस दिनेश जी और राजेश जी के पास पंहुचे और डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालूशुदा दिनेश जी को दिया जिसे बंद कर उन्होंने अपने पास रखा और दिनेश जी ने अपने मोबाईल से आपसे वार्ता करवाई थी। उसके बाद दिनेश जी ने मुझे और श्री भानु कुमार को लक्ष्मीनारायण जी चैयरमेन साहब को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28.03.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर आपके कार्यालय पर आने और गोपनियता बरतने की हिदायत दी थी और भानुकुमार का घर रेलमंगरा होने और रात्रि का समय हो जाने से भानुकुमार को वहीं से रवाना कर दिया था। उसके बाद मैं, राजेश जी और दिनेश जी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेरी कार से वहां से रवाना होकर समय करीब 09.15 पी.एम. पर आपके कार्यालय पंहुचे जहां दिनेश जी ने मुझे गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया था। दिनांक 28.03.2025 को मैं मेरे परिवार के साथ बाहर था और भानु कुमार से भी बात की तो वह भी किसी काम से बाहर राजसमंद की तरफ होने के बारे में बताया था, इस कारण मैं और भानु कुमार दिनांक 28.03.2025 को आपके कार्यालय पर नहीं आ सके थे। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि भानु कुमार के अचानक आवश्यक पारिवारिक काम आ जाने से वह आज आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता है, जो कल आयेगा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल बंसल एवं श्री दिशांत मेनारिया का परिवादी श्री भगवानलाल से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री भगवानलाल की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित एवं सहपरिवादी श्री भानु कुमार के हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 21.03.2025 को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के एवं सहपरिवादी श्री भानुकुमार के हस्ताक्षर होने की ताईद की। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री दिनेश कानि. से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी से मंगवाया जाकर दिनांक 27.03.2025 को परिवादी व सहपरिवादी की संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण से हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकॉर्डशुदा वार्ता के मांग सत्यापन सम्बंधित मुख्य-मुख्य अंश परिवादी श्री भगवानलाल तेली के समक्ष चलाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाये गये तो हर दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना बताया। समय करीब 12.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री भगवानलाल तेली व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 27.03.2025 को समय करीब 03.02 पी.एम. एवं 05.47 पीएम पर परिवादी श्री भगवान लाल तेली के मोबाईल नम्ब[redacted]से आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] आपस में हुई मोबाईल वार्ता तथा परिवादी श्री भगवान लाल तेली, सहपरिवादी श्री भानु कुमार एवं संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर, चैयरमेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद के मध्य समय करीब 06.01 पी.एम. से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जिन्हें ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर को श्री दिनेश कानि. से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करवा वार्ताओ को बारी-बारी से चलाकर, सुनाई जाकर शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट एवं वार्ता स्थानीय भाषा में होने से वार्ताओं की शब्द ब शब्द हिन्दी रूपान्तरण किया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई। परिवादी ने उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज अपनी, एक आवाज श्री भानु कुमार की एवं अन्य आवाज संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण चैयरमेन, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री दिनेश कानि. से कार्यालय हाजा की अलमारी में पुनः सुरक्षित रखवाया गया। समय करीब 07.50 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानल लाल तेली ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि लक्ष्मीनारायण जी अक्सर शाम को अखाडे पर ही मिल जाते हैं, वह वहां पर हमसे रिश्वत राशि लेन-देन कर सकते हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवानलाल तेली को सहपरिवादी श्री भानु कुमार के साथ संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 01.04.2025 को दोपहर तक कार्यालय पर उपस्थित आने और गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.04.2025 समय करीब 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानलाल तेली और सहपरिवादी श्री भानु कुमार उपस्थित कार्यालय आये। श्री भानु कुमार से दिनांक 27.03.2025 को संदिग्ध आरोपी से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बंध में पूछा तो भानु कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों से पूर्व में भगवानलाल व दिनेश कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादीगण को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो परिवादीगण ने बताया कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,20,000/- रूपयों की व्यवस्था नहीं हो सकी है, रूपयों की व्यवस्था के प्रयास कर रहे हैं। समय करीब 03.50 पी.एम. पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री अनिल बंसल एवं श्री दिशांत मेनारिया उपस्थित कार्यालय आये, परिवादी श्री भगवानलाल की

हस्तलिखित व हस्ताक्षरित एवं सहपरिवादी श्री भानु कुमार के हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 21.03.2025 को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पुनः पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी श्री भगवानलाल ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर शब्द-व-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के एवं सहपरिवादी श्री भानुकुमार ने भी रिपोर्ट सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। उक्त रिपोर्ट पर उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने भी अपने-अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की गई। श्री दिनेश कानि. से उक्त कार्यवाही सम्बंधित डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी से मंगवाया जाकर दिनांक 27.03.2025 को परिवादीगण की संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण से हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकॉर्डशुदा वार्ता स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष दिनांक 31.03.2025 को मुर्तिब फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के तुलनात्मक चलाकर सुनाई गई तो सह परिवादी श्री भानुकुमार कुमावत ने दिनांक 27.03.2025 को समय करीब 03.02 पी.एम. पर रिकॉर्डशुदा मोबाईल वार्ता में एक आवाज श्री भगवानलाल जी की है और दूसरी आवाज डेयरी चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर की होने एवं समय 05.47 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता में आवाज श्री भगवानलाल जी की होने की एवं रामभोला अखाडे पर समय करीब 06.01 पी.एम. से चैयरमेन साहब से हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता में अपनी आवाज के अलावा एक आवाज श्री भगवानलाल जी एवं अन्य आवाज संदिग्ध आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण चैयरमेन, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमंद की होने की ताईद की गई। समय करीब 07.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि. 266 द्वारा उक्त वार्ताऐ जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डशुदा वार्ताओ को तीन पेनड्राईव सेनडिस्क 16 जीबी बरंग लाल व काला में बारी-बारी से लेपटॉप से कनेक्ट कर कॉपी कर सुरक्षित किया जाकर वाईस रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई, पेन ड्राईवों के हेशवैल्यू मैमो पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किये गये। तीनो पेनड्राईव को अलग-अलग पेनड्राईव के पैकिंग कवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में रख श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सीलचिट करवा थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मुर्तिब व जप्ती पेनड्राईव मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् समय करीब 08.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि. 266 द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं की वाईस रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू निकाली गई। मेमोरी कार्ड की हेशवैल्यू मैमो पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बरंग काला को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सीलचिट करवा थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही की गई। समय करीब 09.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवानलाल तेली व सहपरिवादी श्री भानुकुमार कुमावत को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 02.04.2025 को प्रातः 10.00 बजे ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पांबद कर गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 02.04.2025 को समय करीब 06.05 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवानलाल तेली उपस्थित कार्यालय आया, जिसे सह परिवादी श्री भानुकुमार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भानु कुमार अभी राजसमंद ही है। अभी हमारे पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की पूरी व्यवस्था नहीं हुई है, मैं और भानुकुमार पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे ही श्री लक्ष्मीनारायण चैयरमेन साहब को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जावेगी तो मैं और भानु कुमार आपसे सम्पर्क कर लेंगे। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मोबाईल फोन से परिवादी श्री भगवानलाल से दिनांक 03.04.2025, 04.04.2025, 07.04.2025, 17.04.2025 एवं सहपरिवादी श्री भानुकुमार से दिनांक 04.04.2025, 17.04.2025 को सम्पर्क कर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। लेकिन दोनों परिवादी टेण्डर सम्बंधित आवश्यक कार्य होने से एवं संदिग्ध आरोपी को उसकी मांग अनुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने से उपस्थित नही हुए। दिनांक 24.04.2025 को सहपरिवादी श्री भानु कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल कर बताया कि श्री लक्ष्मीनारायण जी चेयरमेन साहब से हुई मांग सत्यापन वार्ता को काफी लम्बा समय हो जाने से उनको हम दोनों पर शंका हो गई है, अब चैयरमेन साहब हम दोनों से उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे और अब आगे कार्यवाही होना सम्भव नहीं है। इस प्रकार परिवादी श्री भगवान लाल व उसकी पत्नी श्रीमती दुर्गा साहु के नाम से राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में बीएमसी कलेक्शन समिति राजसमन्द से भीलवाडा डेयरी तक टेंकर के माध्यम से दुग्ध परिवहन का नवम्बर 2024 को अलग-अलग टेण्डर हुआ। जिस पर भगवान लाल द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु दो टेंकर लगाये गये है, इसी तरह सहपरिवादी श्री भानु कुमार के नाम से दुग्ध परिवहन का टेण्डर होकर एक टेंकर लगाया। टेंकर लगवाने के बाद से ही राजसमन्द डेयरी के चेयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर द्वारा परिवादीगण को अकारण परेशान करता है और टेंकरों को रूट पर बिना रोक टोक के चलने देने के एवज में आगे से परेशान नहीं करने के

एवज में डेयरी चैयरमेन श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर द्वारा हर महिने की बन्दी के रूपये प्रति टेंकर 60,000/- (साठ हजार) रुपये एवं स्वीकृत टेण्डर की एवज में प्रति टेण्डर 2,00,000/- (दो लाख) रुपये रिश्वत के रूप में मांग की गई एवं श्री भानु कुमार को राजसमंद डेयरी में बुलाकर कहा चैयरमेन ने रिश्वत की राशी और मंथली नहीं देने पर दुग्ध टेंकर में झूठे आरोप लगवा कर ब्लेक लिस्टेड करवा देने और काम बंद करवाने की धमकी दी गई। जिस पर दिनांक 21.03.2025 को परिवादी श्री भगवानलाल व श्री भानुकुमार द्वारा कार्यालय भ्रनिब्यूरो एसयू, उदयपुर पर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 27.03.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवायी गई तो श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा श्री भगवानलाल और श्री भानु कुमार से राजसमंद डेयरी में श्री भगवान लाल व उसकी पत्नी के नाम से स्वीकृत दो टेण्डर और श्री भानु कुमार के एक स्वीकृत टेण्डर में टेंकर संचालन की एवज में प्रत्येक टेंडर के 2,00,000/- रूपये रिश्वत राशि कुल 6,00,000/- रूपये एवं प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली 60,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादीगण के हाथा जोडी एंव विनति करने पर श्री लक्ष्मीनारायण चैयरमेन साहब ने तीन टेंकर संचालन के स्वीकृत टेंडर के एवज में कुल 4,00,000/- रूपये एवं प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली बन्दी 40,000/- रूपये कुल 1,20,000/- रूपये कुल 5,20,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि तीन-चार दिन में लेकर आने की कहने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादीगणो के द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था समय पर नही होने से एवं बाद में आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण चेयरमेन को शंका हो जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर, चेयरमेन, राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, राजसमन्द द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादीगण के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, राजसमन्द में स्वीकृतिशुदा तीन टेण्डर की एवज में एवं स्वीकृतिशुदा टेंण्डर पर संचालित तीनों टेंकर को बिना किसी रोक-टोक के चलने देने की एवज में प्रत्येक टेंकर प्रति माह के हिसाब से मंथली के रूप में कुल रिश्वत राशि 5,20,000/- रूपये की मांग करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर, चेयरमेन, राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर पेश हैं। भवदीय (लक्ष्मण लाल डांगी) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर पुत्र स्व. श्री जमनादास गुर्जर, उम्र 61 वर्ष, निवासी गुर्जरपुरा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द हाल अध्यक्ष, राजसमन्द जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ. शोनू शेखावत,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 789 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 856-59 दिनांक 12.6.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,उदयपुर, 2.-संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/06/2025 12:...

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/06/1964				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)